UPRN010007002026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–1

कानपुर देहात

<u>जमानत प्रार्थना पत्र सं0–344/2026</u>

बाबूराम उम्र लगभग 65 वर्ष पुत्र स्व 0 जगन्नाथ निवासी ग्राम निधसन थानावजनपद लखीमपुर खीरी उ 0 प्र 0

-----**अभियुक्त।**

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य ....**विपक्षी**

मु0 अ 0 सं0– 69/2025

धारा– 420,467,468 व 471 भा0 दं0 सं0

थाना– मूसानगर जिला कानपुर देहात।

प्रार्थी/अभियुक्त बाबूराम की ओर से यह जमानत प्रार्थना पत्र मु0 अ 0 सं0–69/2025 धारा– 420,467,468 व 471 भा0 दं0 सं0 थाना– मूसानगर जिला कानपुर देहात के मामले में प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा राजाराम के पिता के नाम ग्राम फत्तेपुर मूसानगर तहसील व परगना भोगनीपुर जिला कानपुर देहात में आराजी सं01164 रकवा 0240 हे0 देय राजस्व 15 रूपये के तनहा मालिक काबिज व दाखिल थे। पिता की मृत्यु के बाद उक्त जमीन के बाबूराम, श्रीराम, राजाराम व सीताराम मालिक काबिज एवं दाखिल हुए। राजाराम व श्रीराम व सीताराम रोजी–रोटी कमाने ग्राम महाराज नगर गुडडन बुजुर्ग खीरी लखीमपुर में अरसा करीब 18 वर्ष पहले चले गए थे और वर्तमान में उक्त पते पर निवास कर रहे हैं। बाबूराम वादी का सगा भाई ग्राम फत्तेपुर मे ही निवास करता था और बाबूराम ने वर्तमान लेखपाल से सांठ–गांठ करके पारवा 11 स 3 लोगों के नाम बाबूराम व श्रीराम व राजाराम के नाम दर्ज करा दिया। दिनांक 21.5.2011 को बाबूराम ने गलत रूप से उक्त अभियुक्तगण मिलकर साजिश करके राजाराम की जगह जसवन्त व श्रीराम की जगह राजू ने अपनी फोटो बैनामें में लगाकर फर्जी रूप से बैनामा कर दिया जबकि राजाराम व श्रीराम कभी भी बैनामा करने नहीं आए। जब दिनांक 4.10.2024 को बैनामे की पक्की कापी निकलवाई और फोटो देखी तो पता चला कि बैनामें में लगी कथित फोटो जसवन्त व राजू की है जो बाबूराम के साले व रिश्तेदार हैं। इस कारण वादी फोटो देखकर उक्त लोगों को पहचान गया। उक्त बैनामें के केता–विक्रेता व गवाहान व फर्जी राजू व जसवन्त मिलकर साजिश करके फर्जी बैनामा तहरीर किया जिसकी रिपोर्ट लिखकर विवेचना किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

वादी मुकदमा के प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 173(4) बी0एन0एस0एस0 के आधार पर न्यायालय के आदेश से थाना मूसानगर जिला कानपुर देहात में मुकदमा अपराध सं0–69/2025 अन्तर्गत धारा–420,467,468,471 भा0दं0सं0 में कायम किया गया।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से तर्क दिया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त को रंजिशन फंसाया गया है, जबकि कथित घटना से प्रार्थी/अभियुक्त का कोई लेना देना नहीं है। कायम कराई गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट 15 वर्ष विलम्ब से दर्ज कराई गयी है। प्रार्थी/अभियुक् व वादी मुकदमा एक ही परिवार के सदस्य हैं। लगाए गए आरोप असत्य व निराधार है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित जमीन का विक्रय नहीं किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त को क्रेता राजकुमार किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए तहसील भोगनीपुर ले गए थे तथा कई जगह हस्ताक्षर भी बनवाए थे। प्रार्थी/अभियुक्त ने कई बार क्रेता से किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में जानकारी की गयी तो उनके द्वारा कहा गया कि आप लखीमपुर खीरी में निवास कर रहे हैं। इसलिए आपको क्रेडिट कार्ड नहीं बन पायेगा। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कोई भी आपराधिक कृत्य नहीं किया गया है न ही अपनी व अपने भाइयों की जमीन का विक्रय किया गया न ही अपने भाई का नाम चढ़वाने के बावत कोई धोखाधड़ी षडयंत्र किया है। प्रार्थी/अभियुक् व वादी मुकदमा एक ही परिवार के सदस्य हैं। तथा आपस मे सगे भाई है। प्रार्थी/अभियुक्त पर लगाए गए आरोप गलत है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 15.12.2025 से जिला कारागार माती में निरूद्व है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र में वर्णित कथनों के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाये।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का घोर विरोध करते हुए तर्क दिया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अपने भाई राजाराम व श्रीराम की जमीन फर्जी तरीके से राजाराम की जगह जसवन्त व श्रीराम की जगह राजू को खड़ा करके बैनामा कर दिया गया है। जबकि वादी राजाराम लखीमपुर खीरी में रहता था, जब उसने तहसील भोगनीपुर से पिता की मृत्यु के बाद कागज निकलवाए तो ज्ञात हुआ कि जमीन विक्रय हो चुकी है तो वादी द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराया गया। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्व पर्याप्त साक्ष्य हैं। अतएव प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

मैंने जमानत प्रार्थना पत्र के साथ मामले की केस डायरी का सम्यक परिशीलन किया एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के विद्वतापूर्ण तर्कों को सुना।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थी/अभियुक्त मुख्य अभियुक्त की भूमिका में नामजद है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित है कि वादी मुकदमा राजाराम के पिता के नाम ग्राम फत्तेपुर मूसानगर तहसील व

परगना भोगनीपुर जिला कानपुर देहात में आराजी सं01164 रकवा 0240 हे0 देय राजस्व 15 रूपये के तनहा मालिक काबिज व दाखिल थे। पिता की मृत्यु के बाद उक्त जमीन के बाबूराम, श्रीराम, राजाराम व सीताराम मालिक काबिज एवं दाखिल हुए। राजाराम व श्रीराम व सीताराम रोजी–रोटी कमाने ग्राम महाराज नगर गुडडन बुजुर्ग खीरी लखीमपुर में अरसा करीब 18 वर्ष पहले चले गए थे और वर्तमान में उक्त पते पर निवास कर रहे हैं। बाबूराम वादी का सगा भाई ग्राम फत्तेपुर में ही निवास करता था और बाबूराम ने वर्तमान लेखपाल से सांठगांठ करके पारवा 11 स 3 लोगों के नाम बाबूराम व श्रीराम व राजाराम के नाम दर्ज करा दिया। दिनांक 21.5.2011 को बाबूराम ने गलत रूप से उक्त अभियुक्तगण से मिलकर राजाराम की जगह जसवन्त व श्रीराम की जगह राजू ने अपनी फोटो बैनामें लगाकर फर्जी रूप से बैनामा कर दिया जबकि राजाराम व श्रीराम कभी भी बैनामा करने नहीं आए। वादी फोटो देखकर उक्त लोगों को पहचान गया। उक्त बैनामें के केता–विक्रेता व गवाहान व फर्जी राजू व जसवन्त मिलकर साजिश करके फर्जी बैनामा तहरीर किया गया है।

तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कथित जमीन का दिनांक 21.5.2011 को बाबूराम ने गलत रूप से उक्त जमीन का बैनामा अपने भाई राजाराम की जगह जवसन्त व श्रीराम की जगह राजू की फोटो बैनामे में लगाकर फर्जी रूप से बैनामा कर दिया, जबकि राजाराम व श्रीराम कभी भी बैनामा करने नहीं आए। केस डायरी के साथ कथित बैनामें की कापी भी संलग्न की गयी है। जिसमें बाबूराम के हस्ताक्षर के साथ–साथ राजाराम व श्रीराम के भी हस्ताक्षर हैं, जिनको वादी की तरफ से फर्जी होना तथा फोटो राजाराम व श्रीराम की न होकर जसवन्त व राजू की होना कहा गया है। इस प्रकार प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अपने साले व दोस्त को अपने भाई राजाराम व श्रीराम के स्थान पर फर्जी तरीके से खड़ा करके आराजी सं01164 रकवा 0240 हे0 का फर्जी बैनामा कराया जाना कहा गया है। जो गम्भीर अपराध की श्रेणी में आता है।

अतएव मामले के तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए वाद के गुण दोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

उपरोक्त प्रार्थी/अभियुक्त बाबूराम का जमानत प्रार्थना पत्र मु0अ0सं0–69/2025 धारा 420,467,468 व 471 भा0दं0सं0 थाना मूसानगर जिला कानपुर देहात निरस्त किया जाता है।

दिनांक 20.3.2026

(रजत सिन्हा)
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0–1
कानपुर देहात।
आई0डी0 संख्या–6042